

another leader, it is Rs. 23 crores; but I am told that it is Rs. 20 crores. And not even one-third of the work is done. I heard it from a reliable authority that the expenditure is likely to be of the order of Rs. 80 crores. Sir, Gujarat is not a rich State in that manner. And if you spend Rs. 5 crores every year—they have not been able to spend much more than that—it will take another ten years and by 1980, the expenditure will be Rs. 80 crores. The annual burden on the State will be of the order of Rs. 8 crores. Gujarat only gets Rs. 4} crores as land revenue from the poor land cultivators. And if you are going to spend Rs. 8 crores every year on a mere luxury of new capital, it is time that the people are told the facts. Then, Sir, 11,000 acres of land have been taken away . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You need not go into the details now.

SHRI U. N. MAHIDA: So, as I have said in the very beginning, let this question be discussed. Now I will also be publishing the report. Sir, with your permission, I shall distribute a copy of the printed pamphlet to the Members of Parliament. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Mohsin, do you wish to say anything?

SHRI F. H. MOHSIN: Sir, I have nothing to add.

SHRI T. K. PATEL: Mr. Mahida, was the report drafted by the Government or by you?

SHRI U. N. MAHIDA: I reported to the Chief Minister and the report has been accepted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL, 1971

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): We will now take up the Punjab Bill. I crave the indulgence of the House. It would not take more than 15 minutes.

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/

गृह

मंत्रालय में उपमंत्री (SHRI R. H. MOHSIN):

Sir, on behalf of Shri K. C. Pant, I beg to move;

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Punjab to make laws be taken into consideration."

Sir, this is on similar lines. If you want me to make a speech, I shall do so.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Anything particular?

SHRI F. H. MOHSIN: Nothing particular. It is a similar one.

The question was proposed.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, हमारे योग्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि यह बिल भी ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि गुजरात का बिल था और गुजरात के बिल के समय उन्होंने बड़े गर्व के साथ दो बातें कहीं। एक बात तो यह कही कि वह तो पब्लिक ने हमको मैन्डेट दे दिया है और उस मैन्डेट के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने रूलिंग कांग्रेस की तरफ से हमारे मित्र श्री नवल किशोर जी को यह बताया कि स्पेशल ग्रैंड एलायन्स उन्होंने किया और उसके कारण उन को गुजरात में इस प्रकार से नीचा देखना पड़ा— ऐसा उनका खयाल था। मैं उन दोनों बातों को बतलाते हुए आपसे एक और बात कहता हूँ, पंजाब के विषय में। आपने 5 P.M. पंजाब के बारे में जो कुछ भी किया, उसका प्रभाव आप पर ही पड़ा। आज से एक वर्ष पहिले श्रीमन्, व्हिप्स की एक कान्फ्रेंस हुई थी जितने रूलिंग कांग्रेस में नेतागण भी थे और सब पार्टियों के नेता थे। उस कान्फ्रेंस में जितने भी नेतागण थे उन्होंने एक स्वर से, सबने कहा था कि दल बदल को किसी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। आज इस बात को हुए करीब डेढ़ वर्ष हो गये हैं और क्या मंत्री जी अपने हृदय में हाथ रख कर यह बात कह सकते हैं कि मैसूर में, गुजरात में और पंजाब में क्या उन्होंने दल बदल को प्रोत्साहन नहीं दिया? अगर आपने दल बदल को प्रोत्साहन नहीं दिया तो वहाँ के गवर्नर श्री पावटे ने आपकी सरकार की आशाओं में तुषारापात कर दिया; क्योंकि आप

[श्री निरंजन वर्मा]

यह चाहते थे कि एक दिन के अन्दर अकाली पार्टी को नीचा दिखला दिया जाए और दूसरे ही दिन आपकी पार्टी सरकार कायम कर ले, लेकिन आपकी सब आशाएं मिट गईं।

श्रीमन्, एक बात और है। ये तीन राज्य तो चले गये और अब हमारे योग्य मंत्री जी अपनी पार्टी के नेता श्रीमती इन्दिरा नेहरू जी को एक सुझाव दें। पहिले श्रीमन्, कोई राजा तब होता था जब कि वह आस पास के राज्यों को जीत लेता था और इस तरह से एक छत्र राज्य हो जाता था। आप अपने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दें कि आप अश्वमेध यज्ञ करें और एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ायें; क्योंकि सब राज्य तो मिट गये हैं और अब केवल तीन ही राज्य बच गये हैं। एक मध्य प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है और तीसरा करीब-करीब खत्म हो चुका है और वहाँ पर बरकतउल्ला आ गये हैं। आन्ध्र प्रदेश में भी इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास शुरू हो गया है। इस तरह से जो अश्वमेध का घोड़ा है, वह इन तीन प्रदेशों में छोड़ा जाना चाहिये और सेना लेकर जाना चाहिये। इस तरह से उनका अश्वमेध यज्ञ सारे हिन्दुस्तान में पूरा हो जायेगा और उसके बाद श्री गिरी साहब को सारी पाबर्स डेलीगेट करके सारे देश में प्रजातन्त्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस तरह से सारे प्रान्तों में उनकी पसन्द की सरकार हो जायेगी।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह सही बात है कि राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद इस तरह के विधेयक का आना स्वाभाविक ही है। इसलिये इस विधेयक में कोई ज्यादा बहस की बात नहीं और जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मान्यवर, पंजाब की जो हालत है उसको देख कर मैं मजबूर हो गया हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ कहूँ।

माननीय मंत्री जी ने श्री पटेल जी के भाषण के सम्बन्ध में जो बात कही और जिसकी चर्चा

श्री वर्मा जी ने भी की, उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गुजरात की सरकार जिन कारणों से गिरी, वही बात पंजाब के लिए भी लागू होती है। उनका कहना है कि क्योंकि इस पार्टी को एक बड़ा मत और एक बड़ा वर्डिकट आम जनता का सारे देश में प्राप्त हुआ, इसलिये राज्यों में सरकारों का गिरना शुरू हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में क्या हुआ? आपके पास बंगाल में भी मासिव वर्डिकट था जब कि बंगाल की गवर्नमेंट आपने बनाई थी, ग्रान्ड एलाइन्स में आपका हाथ था और मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी भी आपके साथ थी, इसके बावजूद वहाँ की सरकार खत्म हो गई। आपका वहाँ पर कई पार्टियों के साथ ग्रान्ड एलाइन्स था, मासिव वर्डिकट भी था फिर भी बंगाल की गवर्नमेंट समाप्त हो गई।

मान्यवर, जिस समय पंजाब की असेम्बली को डिजोल्ड किया गया तो सारे हिन्दुस्तान के अन्दर शोर मच गया। श्री पावटे को कांग्रेस (आर) ने एक्यूज किया और उनके बारे में कहा कि उन्होंने बड़ा अत्याचार, अनाचार और पाप पंजाब में किया जो उन्होंने असेम्बली को डिजोल्ड कर दिया उन्होंने वहाँ की असेम्बली को डिजोल्ड क्यों किया, यह बात सबने कही मूझे। ताज्जुब होता है कि आज श्री कृष्णकान्त और श्री राजू यहाँ पर नहीं हैं। जिस प्रकार की स्थिति पंजाब की थी, उसी प्रकार की स्थिति बंगाल की भी थी। जब बंगाल के गवर्नर के वहाँ की असेम्बली को डिजोल्ड किया तो उसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि असेम्बली को डिजोल्ड क्यों किया गया। क्या यह बात सही नहीं है कि बंगाल गवर्नमेंट में जो बंगला कांग्रेस थी उसमें आपस में मतभेद हो गया था और तीन आदमी श्री सुशैल धारा के अर्न्तगत सरकार के समर्थन से अलग हो गये थे। उस समय आप लोगों ने मजबूर होकर झारखण्ड पार्टी को अपनाया और उसके दो मेम्बरों को मिनिस्टर बनाने का आफर दिया। आप उन दो मेम्बरों को डिप्टी मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो गये थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ

[श्री नवल किशोर]

की सरकार गिर गई। अब आप कुछ भी कहें, लेकिन वहाँ के मुख्य मंत्री जी को इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि पहले से निश्चित सोमवार के दिन असेम्बली को बुलायें, जब कि दो दिन के बाद ही सोमवार आने वाला था। मुख्य मंत्री जी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे वहाँ की विधान सभा को फेंक करें।

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के गवर्नर ने इस संबंध में एक इन्डिपेन्डेंट कार्यवाही की, मगर उनकी इस कार्यवाही को आज तक माफ नहीं किया गया। पंत जी ने दबे शब्दों में और सांकेतिक भाषा उनकी इस कार्यवाही को पसन्द नहीं किया, बल्कि उसको कंडेम किया। कांग्रेस (भार) के जितने बाकी मेम्बर थे, उन्होंने जी खोल कर गवर्नर को कोसा और जितना कोस सकते थे कोसा और यहाँ तक मांग की कि उनको वापस बुला लिया जाना चाहिये। मुझे इस बात की तकलीफ है कि उस शासन के लागू होने के बाद जिस तरह से गवर्नर को डिमारेलाइज किया गया और हू मिलियेट किया गया, उससे उस गरीब का काया पलट हो गया और आज वह कठपुतली बना हुआ है वहाँ की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथों में और जैसा वे चाहते हैं वैसा वह करने को मजबूर होता है। मैं सिर्फ दो तीन इंस्टांसेज दूंगा। जिस समय वहाँ राष्ट्र-पति का शासन लागू हुआ, वहाँ के गवर्नर ने कहा कि मुझे किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है और न मैं कोई एडवाइजर एपॉइंट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजर की नियुक्ति की और उस गवर्नर को पता भी नहीं कि कौन एडवाइजर नियुक्त होना है। जब वह नियुक्त हो गया तो उसको इस बात का पता चला। गवर्नर ने यह भी कहा था कि जो पिछली सरकार ने नीतियाँ निर्धारित की हैं, मैं उनमें ज्यादा उलट-पुलट नहीं करूँगा क्योंकि जब पापुलर गवर्नमेंट आएगी तो वह इन चीजों को देखेगी कि वे चीजें कहा तक मनासिब थीं, लेकिन जैसा कि अखबारों में छपा और उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी

के जो वहाँ नेता हैं सरदार हरिन्दर सिंह वह जब गवर्नर से मिले तो उनके मिलने के बाद इस बात का एलान हुआ कि वहाँ के एम्प्लॉईज को इन्टरिम रिलीफ दिया जायेगा। जहाँ तक उस कदम का सम्बन्ध है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैंने भी इस बात की मांग की थी कि वह उनको दिया जाए, लेकिन हरिन्दर सिंह की मुलाकात के बाद वह आर्डर इशू हुआ तो उससे यह अन्दाजा होता है कि गवर्नर को इस्तेमाल किया जा रहा है एक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, आइन्दा आने वाले चुनाव के सम्बन्ध में। यह चीज एतराज की है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर की बात है। यहाँ से होम मिनिस्ट्री ने चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करके भेज दिया, गवर्नर को पता भी नहीं। उसके नाम से काम होता है, लेकिन वह जानता कुछ भी नहीं है। एक बार मिस्टर मोदी गवर्नर थे हमारे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि आई एम दी फादर आफ सो मनी चिल्ड्रेन विदाउट माई नालेज। उनके नाम से आर्डिनेन्स, आर्डर इशू होते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं। आज पंजाब की वही हालत है।

उपासभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) :

हमेशा गवर्नर की यही हालत रही है। श्री नवल किशोर : जी हाँ, गवर्नर की यही हालत होती है। इसीलिए हमने मांग की थी कि उनके लिए नाम, ट्रेडीशन्स बनाई जाएं, जो अभी भी नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि जो टैचर्स का एक बड़ी तादाद में राजनीतिक कारणों से ट्रांसफर कर दिया गया था, उसमें गवर्नर ने ठीक ही इन्टरफियर किया, मगर आज इस तरह की धारणा बन गई है कि जो कांग्रेस (भार) के लोग चाहते हैं वहीं होता है। मैं समझता हूँ कि यह आगे आने वाले चुनाव के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है।

करणन के चार्ज वहाँ के मंत्रियों और एम एल एज पर थे। मुनासिब बात है कि उनकी जांच कराई जाए, मगर आज तन्वेह होता है कि अगर इतना अपरहेन्ड है कांग्रेस (भार) का तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं चाहूँगा कि सरकार उसको भी थोड़ा सा देखे।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जैसा कि मेरे मित्र वर्मा जी ने कहा, कई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन आ गए। वैंस्ट बंगाल भी आ गया। उसके बारे में भी चर्चा हाउस में होने वाली है। बिहार बाल-बाल बचा हुआ है। अगर पंजाब व वैंस्ट बंगाल का जो उदाहरण है, उसका अनुकरण किया जाता और श्री देवकान्त बरुआ जो वहां के गवर्नर हैं, वे अगर पार्टी लाइन पर काम नहीं करते तो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद कोई आल्टरनेटिव नहीं था, सिवाय इसके कि या तो वहां की सरकार इस्तीफा देती या उनको मजबूर किया जाता कि वे असेम्बली को बुला कर उसको फेस करें। श्रीमन्, आपको याद होगा कि वैंस्ट बंगाल की सरकार को इसलिए डिस्मिस कर दिया गया; क्योंकि उन्होंने धर्मवीर जी के कहने पर जो वहां के गवर्नर थे, असेम्बली को जल्दी बुलाने से इनकार कर दिया था। पासवां साहब न इस्तीफा देने को तैयार हैं, न असेम्बली बुलाने को तैयार हैं। अब क्या तरीका होगा। ट्रेडीशन है कि बहुमत है या नहीं इसकी जांच सिर्फ विधान सभा के फ्लोर पर हो सकती है, लेकिन अगर मुख्य मंत्री विधान सभा को न बुलाए तब क्या हो? कांस्टीट्यूशन में तो 6 महीने का टाइम दिया गया है, दो सेशनों के बीच। तब 6 महीने तक माइनारिटी गवर्नमेंट रह सकती है। मैंने इसका उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि डिफ्रेंट स्टेट्स में, डिफ्रेंट राज्यों में जो भी भिन्न-भिन्न स्टैंडर्ड्स अपनाये गये हैं, कांस्टीट्यूशनल और पोलिटिकल, उससे कोई रूलिंग पार्टी का इमेज अच्छा नहीं बनता है और न उससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होती है।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यह सरकार पंजाब के गवर्नर को दबा कर मजबूर कर रही है, उस पर मुझे आपत्ति है। गवर्नर भी क्यों करे। वह भी जानता है कि उसको नौकरी करनी है। इसलिये उसको दबाना पड़ता है। मैं मिनिस्टर साहब से

जानना चाहता हूँ कि जैसे आप धवन साहब को हटा रहे हैं बंगाल से, क्या उसी तरह पंजाब के गवर्नर को भी हटाने की बात आपके दिमाग में है। बिल तो मैं जानता हूँ कि पास ही होगा; क्योंकि इसमें कोई कांट्रोवर्सी की बात नहीं है। लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है वहां के गवर्नर को अपमानित करने का, उसकी ताकत घटाने का या उसको स्टूज या अपनी पार्टी पोलिटिक्स का हथियार बनाने का, वह चीज मुनासिब नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय विधान के निर्माण के समय उसके निर्माताओं के मस्तिष्क में इस तरह की बात हार्गिज नहीं आई थी कि ऐसी भी अवस्था पैदा होगी जब कि देश के एक तिहाई से अधिक भाग में या देश के एक तिहाई से अधिक बड़े राज्यों में वहां के विधान मंडलों के विधियां बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने यह सोच कर कि किसी विशेष अवसर पर इस तरह की विशेष अवस्था पैदा हो सकती है जब कि इसकी आवश्यकता पड़े और इसके लिए उन्होंने यह प्रावधान संविधान में किया था, परन्तु आज हम देखते हैं कि उस प्रावधान का उपयोग इस तरह से किया जा रहा है, जिस में प्रजातन्त्र के सिद्धांतों की हत्या प्रतीत होती है।

श्रीमन्, अगर किसी एक वर्ष किसी एक राज्य में विधान मंडल की विधियां बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में जाए तो बात कुछ समझ में आ सकती है। लेकिन एक साथ देश के चार-चार, पांच-पांच, छः-छः बड़े राज्यों के विधान मंडलों का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में चाहे वह कितने ही महत्त्वपूर्ण पद पर क्यों न हो जाए, यह बात कभी भी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के साथ समन्वित नहीं होती है। श्रीमन्, जिस तरह से गुजरात की सरकार गिरी, जिस तरह से मैसूर की सरकार गिरी और जिस तरह से पंजाब और बंगाल में

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

सरकार गिरी, उसी तरह से औरों का भी नम्बर आ सकता है। तो साफ जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार अपने पद का इस प्रकार दुष्ययोग कर रही है जो कि किसी भी प्रकार से औचित्य के तराजू पर तोला नहीं जा सकता।

श्रीमन्, हम लोग साल भर पहले जब कि चव्हाण साहब यहां गृह मंत्री थे, उनके मुंह से लगभग हर सप्ताह सुना करते थे कि वह इस बात का बिल लाने वाले हैं कि किस तरह से दल बदल रोका जाए और किस तरह से यह जो हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो रही है, दल बदल के कारण उसे समाप्त किया जाए। वह कहते थे कि वह विभिन्न पार्टियों से सलाह मशविरा कर रहे हैं और वह बहुत जल्दी बिल लाने वाले हैं।

लेकिन इधर चार, पांच महीने से सरकार के मुंह से इस सम्बन्ध में कोई बात सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार सत्ता कांग्रेस की बनी हुई है उसके एक तिहाई से अधिक मंत्री दल-बदलू हैं, जिन्हें पिछली संविद सरकार को गिराने के समय मंत्री बनाने का लालच दे कर तोड़ा गया था, उन्हें उस सरकार को गिरने के बाद ज्यों ही सत्ता कांग्रेस की सरकार बनी, मंत्री बना दिया गया। यह इस बात का इशारा करता है कि आज जो लोग और दल शासन में केन्द्र में हैं, वे किस हद तक प्रजातन्त्र और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और कहां तक उन्हें देश में इस सिद्धांत को कायम रखने में दिलचस्पी है और उसके लिए उनमें कितनी लगन है। श्रीमन्, यह कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार के गिरने की बात आई, तो वहां हल्ला मच गया। भेड़िया आया, भेड़िया आया और सारे अखबार छापने लगे, सारे लोग चिल्लाते लगे कि कपूर होटल में कपूर साहब छिपे हुए हैं और हफ्तों से हल्ला मचता रहा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया।

ठीक वही शोर गुल जिस समय कि बिहार में संविद सरकार के गिरने की बात आई तो वहां भी उठी। वहां भी वही भेड़िया पहुंचा और वहां भी वही तरीका अपनाया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सरकार का इरादा क्या है। इस बात का महत्व नहीं है कि किस पार्टी की सरकार किस राज्य में हो। महत्व इस बात का है कि सिद्धांतों का और संविधान में निहित व्यवस्था का सम्मान होता है या नहीं। संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि केन्द्र में किसी दल की सरकार हो और राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, दोनों में समन्वय रहेगा। इस तरह की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन पिछले तीन, चार महीने में हम ने देखा कि इस समय जो केन्द्र की सरकार है, वह किसी भी सूरत में, किसी भी राज्य में, किसी भी विरोधी दल की सरकार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और इस कारण चाहे जायज तरीके से हो या नाजायज तरीके से हो वह उस सरकार को ज़रूर गिरा देगी और उसने गिरा दिया। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है कि जिन लोगों के हाथ में आज देश को बनाने का अधिकार है वह सोचें इस गंभीर मसले पर अन्यथा क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता। श्रीमन्, बिहार की सरकार के गिरने के दो दिन बाद माननीय ललित नारायण मिश्र जी ने पटना में अखबार वालों को बताया कि अगर यह सरकार मेरे खिलाफ कमीशन न बिठाये होती तो इतनी जल्दी इस का पतन नहीं होता, यह किस बात की ओर इशारा करता है।

श्री प्रतुन चन्द्र मिश्र (बिहार) : पाप बहुत कर दिया था इस लिए गिर गयी। कितने मिनिस्टर बनाये थे बिहार में—57।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप क्या पूछना चाहते हैं कि कितने पार्टी जीत कर लोक सभा में आये हैं? आप क्या जानना चाहते हैं कि कितने हिस्ट्रीशीटर आपके टिकटों पर जीत कर आये हैं? आप चाहे तो मैं नाम बताऊं कि जो लोग

पुलिस के रिकार्ड में हिस्ट्रीशीटर हैं और जिन पर डकैती और कत्ल के मुकदमें चले हैं, वे आप के टिकट पर जीते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF
(संसदीय कार्य)
विभाग तथा नौबहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

OM MEHTA) : Strong objection. It is highly objectionable. He cannot say like that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Not relevant to the present Bill.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, पाप की बात उधर से कही जा रही है। मेहता जी, आप उधर रोकिये।

श्री प्रतुज चन्द्र मित्र : मिनिस्टर बनाने की बात मैंने कही।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : कितने मिनिस्टर्स आप बना रहे हैं।

श्रीमन्, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस समय तो पंजाब में आपकी सरकार है और आपके हाथ में सारा अधिकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, तो इस समय चंडीगढ़ और फाजिल्का के मामले को क्यों पेंडिंग बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है। आज तो कोई ऐसी बात नहीं कि यह कह सकें कि अकाली लोग विरोध कर रहे हैं, यह विरोध कर रहे हैं या वह लोग हंगामा कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : इस वक्त जनता की सरकार पंजाब में नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जनता की सरकार की बात यह कहाँ सोचते हैं कि जनता की सरकार है या नहीं। मेरा कहना है कि आपको अधिकार है, इस मामले का निपटारा होना चाहिये ताकि उसके कारण जो अन्तर्राज्यीय झगड़े, दो राज्यों के झगड़े चल रहे हैं वह समाप्त हों।

SHRI F.H. MOHSIN : I am sorry that the Members who have spoken have much deviated from the provisions of this Bill. Many of the

Members who have spoken have dwelt more on the defections. The Government is also very much conscious about the defections. We are very much concerned about it also. We, on this side also, are not happy that the defections have taken place *en masse* in some States but it is not certainly at the instance of the Ruling party. Mr. M.S.Gurupadaswamy, the Leader of the Opposition, knows very well what happened in Mysore. The defections took place after the Lok Sabha elections although we did not want that. We certainly could have formed a Ministry in Mysore with the help of the defectors but we did not want to do it. My friends there said much about defection*, being encouraged by us so that we could form Governments in the States but it is the other way around, when one looks at it carefully. If we wanted to form a Government in Mysore, it was so easy. We were in a very strong position but our Party leaders took a decision not to admit the defectors and form a Government with their help. Mr. Niranjana Varma was very much perturbed at this idea but let him know what the circumstances are in those States. When he referred to Mysore, he should have made a study of the Mysore situation at that time. Shri Shahi said something about undesirables having been elected to the Rajya Sabha and the Lok Sabha. It is a very uncharitable remark regarding Members of this House and of that House. I hope that he is not one of them. (Interruptions) When you have made the statement, I am saying you may not be one of them. Democratically if the people elect some persons and if we go on hurling remarks against those persons who are not Members of tMs House and who cannot defend themselves, it is very uncharitable and such remarks should be avoided. Shri Shahi made much about defections that have taken place at the instance of the Ruling Party by means of money. That also is a reflection on the Members of the State Legislature. Could they be won over by any body. Could anybody be brought from party to another only for a paltry sum? This is certainly a reflection on the Members of the State Legislatures. We should be careful when we offer such remarks against the Members of the Legislatures.

Sir, we are very serious about stopping these defections. Members may be well aware that the Prime Minister convened a meeting of the Leaders of the opposition Groups to consult them about bringing a legislation to stop these defections. Meetings were held in

[Shri F.H. Mohsin] December 1970 and later on when we could not reach a consensus, when we could not come to any conclusion, even then the efforts were not left at that. The Prime Minister addressed letters to the Leaders of the Opposition Groups and I am sorry to say that some of the Leaders of the Opposition Groups have not even replied to the letter of the Prime Minister who is very eager to bring legislation to stop these defection. It is not as though

श्री निरंजन वर्मा : श्रीमन्, अगर उन लीडर्स ने आपको उत्तर नहीं दिया या प्रधान मंत्री को उत्तर नहीं दिया तो कौनसी बाधा आपको थी कि कानून आप नहीं ला सकते थे ? आप चाहते तो ला सकते थे ।

SHRI F.H. MOHSIN : Certainly, we are bringing in legislation. Let the hon. Member have patience. It is not as though if one or two Opposition leaders have not replied we do not want to bring that legislation. We are very eager and if not during this session at least during the next session we are thinking of bringing in legislation in this regard to stop these defections. But before that we want to have the opinion of the Opposition leaders. That is the usual practice that is followed in a democratic set-up. We do not want to ignore the feelings of the Opposition leaders and if they offer any suggestions we are very ready to consider them.

My friend from Congress(O) probably Mr. Nawal Kishore made a statement that the Governor is acting according to the wishes of the Central Government; certainly it is not so. The very fact that the Assembly was dissolved even without consulting any body irritated even the members of the ruling party. Members may be aware of it because before dissolving the Assembly we did not even think of consulting the Leader of the Opposition to find out whether he could form a Government. Usually when a Chief Minister loses the majority it is the practice or it is the convention to see if the Leader of the Opposition is in a position to form the Government but here the Governor did not even consult the Opposition and that has been the subject of criticism by members of our party and also by members who have independent views on this matter. As a matter of fact, the Governor is acting on his own according to the powers enshrined in the Constitution and we have the least objection to it.

It is not as if he is acting at the wish of the Central Government or any body else. Now, if he is taking any steps for remedying the defects brought about by the previous Ministry it is for better administration. For example, the teachers were transferred *en masse* and now the Governor wants to set it right. If he wants to set it right, how does the Central Government come in the picture, I do not understand.

Sir, this Bill is on the usual lines. Whatever points have been made by Members will certainly be borne in mind and I appeal to the House to accept the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Punjab to make laws be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI F.H. MOHSIN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala): Sir, what happened in Punjab was, as a result of defections a situation came about there and probably because of those happenings in Punjab this House during the course of the very brief discussions just now has referred to the aspect of defections. We heard the hon. Minister say—and I am very happy about it—that the Government are very serious about legislating against the defections that are taking place and that such a legislation would be brought either in this session or at least in the next session. The hon. Minister stated that the Opposition leaders were being consulted and the delay has been on account of the fact that certain Opposition leaders have not replied.

While I certainly commend the practice of consulting the leaders of the opposition, I do not know why there should be delay on that account in regard to this question of defections. A Committee had been set up and that Committee had submitted a report on this aspect of defections and the report was also discussed by

both Houses of Parliament. I would, therefore, appeal to the hon. Minister to see that the legislation that the Government has promised through him comes forward early.

SHRI F.H. MOHSIN: I have already replied to this point and I have nothing to add.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The question is:

"That the Bill be passed".'

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-one minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 20th July 1971.